(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 136 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि करवाने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम आबू पं०स० आबू भू०अ०नि०वृत्त [illegible] तहसील— आबू रोड

क्र. स.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	509	330 371 372 386	0.4800 0.2541 0.3467 1.9220	अशोक कुमार पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/8 जाति माली [illegible] [illegible] ग्रामीण बैंक शाखा [illegible]	अशोक कुमार पुत्र बाबूलाल हिस्सा -1/8 जाति-माली रहित (1/8) - राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा [illegible]	11/6/2026

मुताबिक मिसल/जमाबन्दी संवत 2075-2078 की उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 की तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष प्रस्तुत योग्य है।	राजिका राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।	पटहल्का आबू भू०अ०नि० [illegible] की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।	प०हल्का ____ भू०अ०नि० ____ राजस्व अधिकारी ____ की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। हाल जमाबंदी में अमल किया जावे।
दिनांक ____ पटवारी (भू. अ.) पटवार मण्डल [illegible]	दिनांक 12/6/26 भू० भू०अ०नि०	तहसीलदार/(भू.अ.) भू०अ०राजस्व अधिकारी	उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड कार्यालय आबूरोड